उत्तरांचल शासन
आवास एवं शहरी विकास विभाग
संख्या-3818/आ0/श0वि0/04-11 (सा)/04
देहरादून दिनांक 05 सितम्बर, 2004

अधिसूचना

नगरीय क्षेत्रों में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा हेतु एंटिना टावर के निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 188/आ0/श0वि0/04-11(सा)/04 दिनांक 12.01.04 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं:-

1. उक्त अधिसूचना के प्रस्तर 2 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर यह समझा जाए "विद्यमान निर्मित भवन नियमानुसार स्वीकृत हो तो उस भवन का उपयोग एंटिना टावर की स्थापना हेतु इस स्थिति में ही अनुमन्य किए जा सकेंगे यदि पंजीकृत आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चरल इंजिनियर द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि पूर्व निर्मित भवन स्ट्रक्चरली तथा भूकम्परोधी व्यवस्था की दृष्टि से इस प्रयोजनार्थ सुरक्षित है"
2. उक्त अधिसूचना का प्रस्तर 10 समाप्त समझा जाए।
3. उक्त अधिसूचना के अन्य प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
4. उक्त अधिसूचना उपरोक्त सीमा तक ही संशोधित समझी जाए।

(डा0 एस0एस0 संधू)
सचिव

संख्या-3818/आ0/श0वि0/04-11 (सा)/04 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2. डायरेक्टर जनरल, टेलिफोन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. डायरेक्टर, टेलिफोन, उत्तरांचल सर्किल, देहरादून।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।
6. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की(हरिद्वार)को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तरांचल।
9. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से
(भास्करानन्द)
अपर सचिव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

देहरादून, [illegible]

अधिसूचना

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम- 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश- 2002 की धारा- 19, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश- 2002 की धारा- 41(1) तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम- 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश- 2002 की धारा- 38 (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल विकास क्षेत्र, विनियमित क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा हेतु एन्टीना टावर के निर्माण हेतु छूट दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के आवास अनुभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा हेतु एन्टीना टावर के निर्माण की अनुज्ञा निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1- भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा लाइसेन्स प्राप्त सेल्यूलर/ डब्ल्यू0एल0एल0 मोबाइल टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावरों, एक्सचेंज नोड स्थल व अनुषांगिक भवनों के निर्माण अनुमन्य किये जायेंगे। जहाँ अपेक्षित हो वहाँ टावर के निर्माण के आवेदन के साथ एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इण्डिया की अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

2- अनाधिकृत भवनों में या उनके ऊपर तथा पूर्व मे विद्यमान निर्मित भवनों के ऊपर एन्टीना टावर की स्थापना भी अनुमन्य नहीं होगी।

3- सेवा आपरेटरों द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्किटेक्ट काउसिंल द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा कि (क) प्रस्तावित एन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है। (ख) भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है। (ग) प्रस्तावित निर्माण का भूकम्परोधी तकनीक व अन्य मानकों के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किया गया है तथा भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।

प्रत्येक निर्माण से पूर्व उपरोक्त प्रस्तर (3) में वर्णित प्रमाण-पत्र एवं मानचित्र के साथ रु0 तीन हजार की अनुज्ञा फीस संबंधित प्राधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में समय समय पर निर्धारित सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के भवनों हेतु विकास सुधार शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी को देय होगा।

अनुमन्य स्थल :- सेल्यूलर मोबाइल संचार सेवा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के ही समान होने के कारण इसके लिये आवश्यक टावर व अनुषांगिक भवन भी महायोजना मे समस्त भू-उपयोगों में उसी प्रकार अनुमन्य किये जायेगें, जिस प्रकार से अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें अनुमन्य हैं।

6- भू-खण्ड का क्षेत्रफल :- इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित स्थल के भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर आवश्यक होगा।

भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 :- एक्सचेंज नोड स्थल व अनुषांगिक भवनों के निर्माण हेतु भवन का अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 1.25 अनुमन्य होगा।

...2

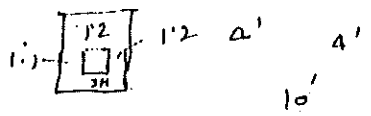

8- केवल एन्टीना टावर को एफ0ए0आर0 एवं तत्गणित ऊंचाई से मुक्त रखा जायेगा।
9- सेट बैक :- प्रस्तावित भवन के अग्र भाग में न्यूनतम 3.00 मीटर तथा अन्य तीनों ओर न्यूनतम 1.20 मीटर सेट बैक का प्रावधान आवश्यक होगा।
10- पँहुच मार्ग - प्रस्तावित स्थल/ भू-खण्ड न्यूनतम 9.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होना आवश्यक है।
11- श्री राज्यपाल महोदय यह भी निर्देश देते हैं कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर की स्थापना में विभिन्न विकास प्राधिकरणों, विशेष विकास प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या- 188 /आ0 / श0वि0/ 04-11 (सा)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी शासकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 10 प्रतियां शासन को, 05-05 प्रतियां नीचे अंकित अधिकारियो को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या- 188 /आ0 / श0वि0/ 04-11 (सा)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- आयुक्त, गढवाल/ कुमायूँ मण्डल, पौडी/ नैनीताल।
2- डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- डायरेक्टर, टेलीफोन, उत्तरांचल सर्विस, देहरादून।
4- अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।
5- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7- समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तरांचल।
8- प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।